

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-280/2018
115/2018

09/11/2022

वादी की ओर से हाजरी दी गई है। प्रतिवादी की ओर से हाजरी नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल आवेदन—पत्र दिनांक 28-11-2019 को ~~को संचालित~~ कर निवेदन करते हैं कि वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन—पत्र दाखिल किया गया है। जिसे वादी संचालित करना नहीं चाहते हैं। अतः Dismissed as not pressed के आधार पर आवेदन—पत्र को खारिज किया जाए तथा वाद को वादी के साक्ष्य हेतु रखा जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में वाद पद का गठन किया जा चुका है। चूंकि वादी अपने दाखिल आवेदन—पत्र को संचालित नहीं करना चाहते हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन—पत्र को Dismissed as not pressed के आधार पर खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है कि अगली निर्धारित तिथि दिनांक 21.11.23 को वाद को संचालित करे तथा उचित पैरवी करें वास्ते वादी के साक्ष्य हेतु।



अवर न्यायाधीश, प्रथम
पटना सिटी